(नियम–26)

अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
गजेन्द्रकंवर पत्नी भवानीसिंह जाति राजपुत, निवासी विरधसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाडमेर वगैरा (02)		मुकेशकंवर पत्नी संग्रामसिंह जाति राजपुत, निवासी विरधसिंह की ढाणी तहसील शिव, जिला बाड़मेर वगैरा (05)

किस्म मुकदमा राजस्व आवेदन (धारा 212) मुकदमा नम्बर 30 / 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.01.2024	प्रार्थीगण अधिवक्ता श्री बृजमोहन कुमावत द्वारा यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है, जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण जरीये नोटिस तलब हो। अंतरिम स्थगन प्रार्थना पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा निवेदन करने पर एकपक्षीय अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 की सयुंक्त खातेदारी के खेत मौजा डलानाडा, तहसील शिव के खसरा नम्बर 576/318 रकबा 24.4429 हैक्टेयर एवं मौजा विरधसिंह की ढाणी, तहसील शिव के खेत खसरा नम्बर 458/291 रकबा 24.4429 हैक्टेयर के आये हुए है। प्रार्थीगण के पिता स्व0 भवानीसिंह एवं विप्रार्थीगण के पिता स्व0 संग्रामसिंह सगे भाई थे, जो पूर्व पुरूष स्व0 खुमानसिंह की संताने थी। उक्त विवादित आराजी सिंचित होने तथा दोनों भाईयों के मध्य मधुर संबंध होने से दोनों भाईयों ने आपसी सहमति से एक विनिमय पत्र निष्पादित करवाया गया था, जिसमें खसरा नम्बर 576/318 की भूमि विप्रार्थीगण के पिता/पति को एवं खसरा नम्बर 458/291 की भूमि प्रार्थीगण के पिता/पति को दी गई। चूंकि उपरोक्त विनिमय पत्र के निष्पादित होने से पूर्व ही संग्रामसिंह के फौत होने पर विरासती नामांतरकरण पारित करवा दिया गया, जिससे मौके पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। चूंकि मौजा विरधसिंह की ढाणी के खसरा नम्बर 458/291 में पिछले 40 वर्षों से प्रार्थीगण का कब्जा काश्त मय रहवासी मकान सहित चला आ रहा है एवं भूमि सिंचित है, जबकि वर्तमान में फौतगी नामांतरकरण से उक्त खसरा नम्बर में विप्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से मौके पर भारी विवाद पैदा हो गया है। प्रार्थीगण अपने हक हिस्सा की भूमि पर मौके पर काबिज काश्त होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी में पूर्व में दोनों भाईयों के मध्य आपसी सहमति से जमीन अदलाबदली हेतु निष्पादित किये गये विनिमय पत्र को न मानते हुए प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त एवं रहवासी घर से बेदखल करने पर आमादा है तथा साथ ही अजनबी क्रेता को विवादित आराजी का बैचान करने पर उतारू है, यदि विप्रार्थीगण अपने मकसद में कामयाब हो गये तो इससे प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जा सकती। अतः समस्त परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का सिद्वांत प्रार्थीगण के पक्ष में होने से प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलदांजी/हस्तक्षेप नहीं करने तथा वर्तमान मौका एवं राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा सादिर फरमाई जावें। हमने प्रार्थीगण अधिवक्ता की अंतरिम बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली [illegible] के पिता/पति एवं विप्रार्थीगण के पिता/पति के मध्य पूर्व [illegible] सहमति से कृषि भूमि की अदला बदली हेतु विनिमय [illegible] द्वारा दोनों खसरा नम्बर की भूमि [illegible] सुपुर्द करना स्वीकार किया गया है। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी पर [illegible] रहवासी ढाणी सहित काबिज होने से प्रथम दृष्टया मामला एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। यदि विप्रार्थीगण द्वारा विवादित आराजी का आगे बैचान किया जाता है या प्रार्थीगण को उनके कब्जा काश्त व रहवासी ढाणी से बेदखल किया जाता है तो इससे अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण को होने से इंकार नहीं किया जा सकता। साथ	डा0 रजि0 915-919 31.01.24

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:56:57 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

मौके पर तनाव व विवाद की स्थिति उत्पन्न होने की आशंका रहेगी। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को आरजी तौर पर स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आरजी/आंशिक तौर पर स्वीकार किया जाकर मौजा विरधसिंह की ढाणी, तहसील शिव के खसरा नम्बर 458/291 रकबा 24.4429 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विप्रार्थीगण के विरुद्ध विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय का अस्थाई अंतरिम स्थगन आदेश आगामी तारीख पेशी तक जारी किया जाता है।

पत्रावली वास्ते विप्रार्थीगण के सम्मन/नोटिसों का इन्तजार होकर आइन्दा दिनांक 28.02.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

28.2.24

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
विप्रार्थी संख्या 2 की ओर से मूलवाद में वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी संख्या 2 के जवाब व शेष की तामिली हेतु दिनांक 22.03.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

22.3.24

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित।
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा विप्रार्थीगण के नोटिस व रसीदें पेश की, जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते विप्रार्थी संख्या 2 के जवाब व शेष की डिलेवरी रिपोर्ट का इन्तजार होकर दिनांक 12.6.24 को पेश हो।

12.6.24

पत्रावली पेश हुई।
प्रार्थी/विप्रार्थी अधिवक्ता [illegible]/अनुपस्थित।
पत्रावली में [illegible] कार्यवाही नहीं होने के कारण [illegible] पत्रावली [illegible]
दिनांक 29.7.24 को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:56:57 IST
Reason: SelfAttested

29.7.24

पत्रावली पेश हुई।
उभयपक्ष अधिवक्ता उपस्थित।
पत्रावली वास्ते विप्रार्थी संख्या 2 के जवाब तथा शेष का इन्तजार होकर दिनांक 11.9.24 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहलकार हुक्म ... में जारी
28.04.26	~~[struck]~~ मूल वाद मे उपस्थित अधिवक्ता द्वारा त्वरीत सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश करने पर पत्रावली तलब की जाकर पेश हुई। वाकुलान उपस्थित। चूंकि उक्त आवेदन का मूल वाद निर्णित हो चुका है। अतः मूल वाद के निर्णित होने पर उक्त आवेदन का कोई औचित्य नहीं होने तथा सारहीन होने से उक्त आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। साथ ही पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Yaksh Chaudhary
Date: 2026.05.20 18:56:57 IST
Reason: SelfAttested